स्टाफ बस संचालन ठेका निविदा प्रपत्र

(22 सीटर मिनी बस/टैम्पो ट्रेव्हलर)

क्रमांक/1434/छगदुमसं/क्रय–प्रशासन/2025 उरला, दिनांकः 18/07/2025

(अवधि दिनांक–01.09.2025 से 31.08.2027 तक–02 वर्ष)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी0एम0वाय0,चरोदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वाय0 चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1434 / छगदुमसं / क्रय–प्रशासन / 2025 उरला, दिनांकः 18 / 07 / 2025

।। प्रपत्र – स्टाफ बस संचालन हेतु निविदा सूचना।।

<u>सहपत्रों की सूचीः–</u>

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक	पृष्ठ संख्या
01	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	1	1
02	निविदा शेड्यूल	2	1
03	निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी	3–9	7
04	धरोहर राशि प्रस्तुतीकरण प्रपत्र–अ	10	1
05	तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुतीकरण प्रपत्र–ब	11	1
06	दर प्रस्तुतीकरण प्रपत्र–स	12	1
07	समय सारणी	13	1
	कुल सहपत्र		13

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वाय0 चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1434 / छगदुमसं / क्रय–प्रशासन / 2025 उरला, दिनांकः 18 / 07 / 2025

।। स्टाफ बस संचालन हेतु निविदा सूचना ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के कार्यरत स्टाफ को प्रतिदिन छोकरा नाला रायपुर से डेयरी प्लांट उरला, कुम्हारी, जिला–दुर्ग तक लाने / ले जाने हेतु एक 22 सीटर मिनी बस संचालन / ठेका हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। वांछित विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाइट **www.cgcoopdairyfed.in** में उपलब्ध है। निविदा दिनांक–20.08.2025 को दोपहर 3:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबंध संचालक

पत्रिका

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी.एम.वाय. चरौदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 1434 / छगदुमस / क्रय–प्रशासन / 2025

उरला, दिनांक : 18 / 07 / 2025

//स्टाफ बस संचालन हेतु निविदा सूचना//

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के कार्यरत स्टाफ को प्रतिदिन छोकरा नाला रायपुर से डेयरी प्लांट उरला, कुम्हारी, जिला–दुर्ग तक लाने / ले जाने हेतु एक 22 सीटर मिनी बस संचालन / ठेका हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। वांछित विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in में उपलब्ध है। निविदा दिनांक–20.08.2025 को दोपहर 3:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबंध संचालक

19/07/2025 | Raipur City | Page : 9

Source : https://epaper.patrika.com/

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वाय0 चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1434 / छगदुमसं / क्रय–प्रशासन / 2025 उरला, दिनांकः 18 / 07 / 2025

।। स्टाफ बस संचालन हेतु निविदा –शेड्युल।।

01	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि	निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाईट **www.cgcoopdairyfed.in** से दिनांक–20.07.2025 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
02	निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक–20.08.2025 दोपहर 02.00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्राप्त हुई निविदाएं ही शामिल की जावेंगी :– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौंक रायपुर (छ.ग.) पिन : 492001
03	निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक–20.08.2025 दोपहर 03.00 बजे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम – उरला–बी0एम0वाय0 चरोदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0) पिन : 490025, स्थान– सभा–कक्ष
04	निविदा खोलने की प्रक्रिया	➢ सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा ''D'' खोल कर लिफाफा ''A'', ''B'' एव ''C'' प्राप्त किया जावेगा। ➢ लिफाफा ''A'' को खोलकर निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि, व ''B'' को खोलकर संबंधित दस्तावेज एवं आधार, पैन कार्ड की जॉच की जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं सम्पूर्ण दस्तावेज सही होने पर ही भाव पत्र का लिफाफा ''C'' खोला जावेगा।
05	निविदा प्रपत्र शुल्क	1– निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू0 1000 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित'' (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय संलग्न करना होगा। 2– निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाईट **www.cgcoopdairyfed.in** से डाउनलोड किया जाना होगा।
06	निविदा धरोहर राशि	धरोहर राशि रू0 20,000 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित'' (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय संलग्न करना होगा।

नोट :– निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हे अगले कार्य दिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त करते हुए समान निर्धारित समय में खोला जावेगा।

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वाय0 चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1434 / छगदुमसं / क्रय–प्रशासन / 2025 उरला, दिनांकः 18 / 07 / 2025

।। स्टाफ बस हेतु परिवहन निविदा की शर्ते।।

1– निविदा सीलबन्द लिफाफे में चस्पा लगाकर प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम–उरला, पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा, जिला–दुर्ग कार्यालय में **दिनांक** 20.08.2025 को दोपहर 02.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि के बाद यदि निविदा प्राप्त होती है तो उसे ग्राह्य नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन अर्थात **दिनांक**–20.08.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के वेबसाईट **www.cgcoopdairyfed.in** से दिनांक–20.07.2025 से डाउनलोड किया जा सकेगा।

2– निविदा सीलबन्द लिफाफे पर प्रस्तुत किया जाना है और लिफाफे पर यह स्पष्ट रूप से अवश्य लिखा जावे कि स्टाफ बस परिवहन हेतु निविदा, यदि ऐसा नही लिखे जाने पर लिफाफा खोल दिया जाता है तो ऐसी प्राप्त निविदा को निरस्त माना जावेगा।

3– निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्राप्त सीलबन्द लिफाफे पर निविदा प्रस्तुतकर्ता का पूरा नाम एवं पता स्पष्ट रूप से एवं सुवाच्य अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। निविदा प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही निविदा की दरें भरी जाना आवश्यक है। अन्य प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में प्राप्त दरों को निरस्त समझा जायेगा। निविदा के साथ वाहन के परमिट, पंजीयन, बीमा अभिलेख, रोड टेक्स भुगतान अभिलेख एवं आर.सी.बुक की फोटोकापी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

4– निविदा के साथ धरोहर की राशि के रूप में रू. 20,000/– (अक्षरी रूपये बीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर को देय हो, तैयार कर संलग्न किया जाना आवश्यक है। यदि किसी भी निविदा के साथ धरोहर की रकम जमा नहीं की गई तो प्राप्त निविदा को निरस्त समझा जायेगा।

5– स्टाफ परिवहन कार्य हेतु वांछित बसों हेतु वाहन स्वामी एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे। भागीदारी में खरीदी गयी वाहन की निविदा पर समस्त भागीदारी के हस्ताक्षर किये जाना एवं भागीदारी की शर्तो का विलेख निविदा के साथ संलग्न प्रस्तुत किया जाना अथवा निविदा प्रस्तुतकर्ता के नाम अधिकार पत्र समस्त भागीदारों द्वारा जारी किया जाने पर ऐसा अधिकार पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक रहेगा। समस्त निविदायें अथवा किसी भी निविदा को ग्राह्य करने अथवा अग्राह्य करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास सुरक्षित होगा तथा किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार भी प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास सुरक्षित होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार किसी भी व्यक्ति से नहीं किया जायेगा।

6– प्राप्त निविदाओं को प्रबन्ध पक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा **दिनांक**–20.08.2025 को दोपहर 3.00 बजे निविदा प्रस्तुतकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। किन्तु यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते है तो भी निर्धारित समय पर निविदायें प्रबन्ध पक्ष द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदाकर्ता को स्वयं की व्यवस्था/व्यय से निविदा में उल्लेखित वाहन कमेटी के निरीक्षण हेतु उरला–संयंत्र में लायेंगे। एक बार निविदा प्रस्तुत करने के उपरान्त किसी भी व्यक्ति को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

7– वाहन चलाने का आदेश प्राप्त होने के उपरान्त सफल निविदाकार को प्रबन्धन द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध निष्पादित कर अमानत राशि रू. 1,00,000/– (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) जमा करना आवश्यक होगा। अमानत राशि को ठेके की शर्तो की अवहेलना करने पर जब्त किया जा सकेगा अथवा ठेके की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अधिकतम 3 माह की अवधि में हिसाब चुकता होने के उपरान्त बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा अथवा ठेकेदार से कोई वसूली की जाना है तो वसूली पेटे आंशिक अथवा पूर्ण समायोजित किया जा सकेगा। ठेके विलेख प्रबन्धन द्वारा निर्धारित अवधि में निष्पादित न करने एवं अमानत की राशि जमा न करने तथा वाहन चलाने में असमर्थता व्यक्त करने पर अर्नेष्ट मनी की राशि जब्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम होगा।

..3..

8— प्रबन्धन द्वारा पारित निर्णय के आधार पर वाहन चलाने का आदेश जारी करने के उपरान्त जैसे ही वाहन चलाना प्रारंभ हो जाता है एवं अन्य असफल निविदाकारों की अर्नेष्ट मनी की राशि वाहन चलाने की तिथि से एक माह के अन्दर लौटा दी जावेगी, किन्तु जब तक निविदाओं का निराकरण करने के उपरान्त वाहन न चलाई जाती है तब तक अर्नेष्ट मनी अपने पास रखने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रहेगा। ठेकेदार के पास यह भी विकल्प रहेगा कि वह धरोहर राशि वापस न लेकर अंतर की राशि अतिरिक्त रूप से अमानत राशि में जमा कर सकेगा।

9— वाहन में वाहन चालक एवं परिचालक के अतिरिक्त स्टाफ को बैठाने हेतु आरामदेह सीटों की व्यवस्था होना आवश्यक है तथा इस संबंध में आवश्यक पासिंग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से कराई जाकर तदानुसार प्रविष्ठी आर.सी. बुक में अंकित होना भी आवश्यक है।

10— नाबालिग/विक्षिप्त निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

11— जिस वाहन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है वह पूर्णतः निविदाकार के स्वामित्व का होना आवश्यक है अथवा वाहन स्वामी द्वारा निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना आवश्यक है। परन्तु यदि वाहन व्यावसायिक बैंक अथवा संस्था से प्राप्त ऋण से क्रय की गई है तो ऐसी दशा में उक्त बैंक अथवा संस्था का सहमति पत्र मोटर—यान अधिनियम की धारा 31 (अ) के अंतर्गत निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

12— निविदा में वाहन मॉडल, निर्माण वर्ष तथा बैठक क्षमता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

13— सामान्यतः ठेके की अवधि **02वर्ष** मानकर निविदाएं आमंत्रित की जा रही है किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्ध द्वारा ठेके की अवधि उपरोक्तानुसार स्वीकृत दरों एवं निष्पादित अनुबन्ध पत्र की इन्ही शर्तो के अधीन बढ़ाई जा सकेगी।

14— निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा निविदा की उल्लेखित दरें सुवाच्य एवं स्पष्ट अक्षरों में **अंको एवं शब्दों** में लिखा जाना आवश्यक है। यदि किसी निविदाकार द्वारा अंकित दरों में उपरिलेखन **(ओवर रायटिंग)** पाई गई तो प्राप्त निविदा को निरस्त समझा जायेगा। यदि त्रुटिवश कोई निविदाकार ने जो दरें दी थी उसके स्थान पर कोई दूसरी दरें अंकित करना चाहता है तो उक्त प्रविष्टि को लाल स्याही से काटकर संशोधित दरें अंकित कर पूर्ण हस्ताक्षर कर निविदा प्रस्तुत करें। उपरिलेखन कदापि न करें।

15— किसी भी निविदाकार द्वारा कोई निविदा सशर्त प्रस्तुत की जाती है अर्थात निविदा में कोई शर्ते रखी जाती है तो ऐसे निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रहेगा ।

16— विशेष/आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर सामान्य परिस्थितियों में बस निर्धारित मार्ग छोकरानाला स्थित पुरानी डेरी कालोनी से नगरघडी चौक, मोतीबाग रोड होते हुये श्याम टाकीज, पुरानी बस्ती, लाखे नगर होकर विवेकानंद आश्रम चौक, जी.ई.रोड से डेयरी प्लान्ट उरला पहुंचेगी एवं रायपुर स्थित विभिन्न स्टापेज से स्टाफ को लाने एवं छोडने का कार्य करेगी **(समय सारिणी संलग्न)** ।

17— निविदा में मांगी गई वाहन में निविदाकार के द्वारा उपलब्ध करायें जानें वालें बस— मिनी बस 22 सीटर जिसमें टैम्पो ट्रेव्हलर भी सम्मिलित है, कि मॉडल वर्ष 2020 से पूर्व की नहीं होनीं चाहिए ।

..5..

18— <u>निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया—</u>

निविदा तीन लिफाफों में निम्नानुसार प्रस्तुत की जावेगी :—

(1) **लिफाफा 'अ'** — इस लिफाफे में फार्म की कीमत रू. 1000/— एवं धरोहर राशि रू. 20,000/— का डिमांड ड्राफ्ट जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित पेयबल एट रायपुर को देय हो तथा फार्म की फीस का डिमांड ड्राफ्ट अथवा कार्यालय में जमा करने की रसीद की प्रति रखी जावें। लिफाफे के उपर ''धरोहर राशि'' स्पष्टतः अंकित करें।

(2) **लिफाफा 'ब'** — इस लिफाफे में निविदा प्रपत्र, अनुबंध पत्र, सनिष्ठा संधि एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेज रखे जाये। लिफाफे के उपर ''वाहन संबंधी दस्तावेज'' अंकित किया जावे। तथा संबंधित दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रतियां रखी जावे।

(3) **लिफाफा 'स'** — इस लिफाफे में दर पत्रक रखकर लिफाफे के उपर ''वित्तीय दर पत्रक'' स्पष्टतः लिखा जावे।

उपरोक्त तीनों लिफाफे 'अ', 'ब' एवं 'स' अलग—अलग सील बंद करके एक बड़े लिफाफे ''द'' जिसमें ''स्टाफ बस हेतु ठेका'' लिखा हो रखे जावें।

।। अनुबन्ध की शर्ते।।

1— यह कि ठेकेदार द्वारा उनके स्वयं की मालकियत की बस जिसकी बैठक क्षमता .... पंजीयन क्रमांक .... माडल — .... है जो कि प्रबन्धन द्वारा नियोजित स्टाफ को छोकरानाला रायपुर शहर के विभिन्न बिन्दुओं से स्टाफ बस में बैठाकर उन्हें ड्यूटी हेतु निर्धारित समय पर डेयरी प्लान्ट उरला, जिला—दुर्ग तक लाना/ले जाना सम्मिलित है जिसके लिए वाहन द्वारा प्रतिदिन निविदा की शर्तो में किये गये उल्लेखानुसार टिप लगाकर संलग्न विवरणानुसार स्टाफ लाने ले जाने का कार्य सम्पन्न करेगी जिसका भुगतान प्रबन्धन द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरान्त रू. .... (अक्षरी रूपये ....) प्रतिमाह की दर से अगले माह की 15 तारीख तक देयक प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

2— यह कि ठेकेदार द्वारा जो वाहन प्रबन्धन के कार्य हेतु ठेके पर दी गई है उसके लिये आवश्यक वाहन चालक, परिचालक इत्यादि की नियुक्ति ठेकेदार द्वारा ही की जायेगी तथा निष्पादित अनुबन्ध पत्र की अवधि में संबंधित वाहन कर्मियों का वेतन भुगतान, डीजल व्यय का भुगतान, वाहन का बीमा, सरकारी टैक्स राशि एवं वाहन के टूट—फूट से संबंधित मरम्मत इत्यादि का व्यय भी ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में वाहन को राज्य से बाहर भेजने की स्थिति में लगने वाले राज्य कर, टोल टैक्स एवं पार्किंग व्यय की राशि पावती एवं जरूरी दस्तावेज संलग्न करने पर दुग्ध महासंघ द्वारा वहन किया जायेगा।

3— ठेकेदार द्वारा उपरोक्तानुसार अवधि में वाहन के लिए आवश्यक समस्त अभिलेख जैसे—पंजीयन, परमिट, इंश्युरेन्स, फिटनेस एवं वाहन का चालक का लाईसेंस इत्यादि विधि पूर्ण उपयोगिता हेतु तैयार कर वाहन के साथ सदैव सुलभ कराये जावेंगे तथा किन्ही अभिलेखों के अभाव में यदि कोई शास्ति किसी भी शासकीय विभाग द्वारा आरोपित की जाती है तो उसके वाहन का उत्तरदायित्व ठेकेदार पर होगा। ठेकेदार वाहन से उत्पन्न होने वाले सभी दंडित व्यावसायिक ,मोटर दुर्घटना दावा एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा न्यायिक कार्यवाही में स्वयं उपस्थित होगा। प्रबन्धन उपरोक्त हेतु किसी भी प्रकार से न तो पक्षकार रहेगा और न ही इस संबंध में किसी प्रकार से प्रबन्ध का कोई उत्तरदायी ही रहेगा। ऐसे प्रकरणों में न्यायिक एवं अन्य सभी व्यय भी ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा।

4— ठेकेदार प्रतिदिन छोकरानाला स्थित डेयरी से बस प्रारंभ कर विभिन्न स्टापेज से कर्मचारियों को बस में बैठाकर डेयरी प्लान्ट उरला तक पहुंचायेगा। इसी प्रकार डेयरी प्लान्ट उरला से वापस पुरानी डेयरी छोकरानाला तक लायेंगे और प्रतिदिन/प्रतिट्रिप आने—जाने के समय की प्रविष्टि डेयरी प्लान्ट उरला के मेनगेट पर सुरक्षा कर्मियों के पास उपलब्ध पंजी में करेंगे जिसके आधार पर ही आवश्यक सत्यापन कर भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

5— प्रबन्धन की लिखित अनुमति के बगैर ठेकेदार किसी भी अन्य व्यक्ति एवं स्टाफ परिवहन कार्य या वाहन किसी प्रकार से उप ठेके पर नही देगा और ठेके पर दी गई वाहन को हर प्रकार से भार अधिकार एवं हस्तान्तरण से मुक्त रखेगा तथा किसी भी शर्त पर उल्लंघन करने पर ठेकेदार द्वारा प्रबन्धन के पास जो अमानत की राशि जमा की गई है वह राजसात की जा सकेगी तथा उपरोक्त में होने वाली क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भी ठेकेदार का होगा जो ठेकेदार की अमानत राशि एवं भुगतान योग्य देयकों से वसूल की जा सकेगी।

6— दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में प्रबन्ध पक्ष का कोई कर्मचारी अथवा वाहन कर्मचारी यदि घायल होता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार जो भी मुआवजा देय होगा, उसको वाहन ठेकेदार द्वारा ही दिया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा उक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान न करने पर उसकी वसूली उससे राजस्व वसूली की भांति करने हेतु प्रबन्ध पक्ष को पूर्ण अधिकार रहेगा। इस हेतु ठेकेदार वाहन, वाहन के ड्रायवर कण्डक्टर एवं स्टाफ के सभी सदस्यों की क्षतिपूर्ति हेतु बीमा स्वयं के व्यय से करावेगा।

7— ठेके की अवधि में वाहन में आवश्यक सेल्फ स्टार्टर, दोनो वाइपर, खिडकी की कांच ,वाहन के अन्दर और बाहर के प्रकाश की व्यवस्था तथा बैठने हेतु आरामदेय सीट इत्यादि अच्छी हालत में होना आवश्यक है । कर्मचारियों को धूप ,वर्षा एवं ठंड से बचने हेतु आवश्यक रोकथाम के लिए सामग्री जैसे— खिडकी के कांच इत्यादि अच्छी तरह लगी होनी चाहिये। वाहन के टायर—ट्यूब अच्छी हालत में होनी चाहिये तथा वाहन में हमेशा स्टेपनी, टूल बाक्स, प्रथमोपचार सामग्री तथा अग्नि नियंत्रक सामान आवश्यकतानुसार सदैव वाहन में मौजूद रहना आवश्यक है।

8— ठेकेदार द्वारा प्रबन्ध पक्ष को जो वाहन ठेके पर दी गई है उस पर यह सुस्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरों में स्पष्टतः लिखा जायेगा कि —**''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा स्टाफ परिवहन हेतु ठेके पर अनुबंधित वाहन''**। ठेके की अवधि में वृद्वि नही की जाती है तो निष्पादित अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के उपरान्त वाहन पर लिखा गया उक्त विवरण हटा दिया जायेगा। तदुपरान्त ही ठेकेदार द्वारा जमा अमानत की राशि लौटाई जायेगी। ठेकेदार ठेके की अवधि तक वाहन को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के उपयोग में नही लाएगा तथा न ही किसी भी संस्था के लिए ठेके की वाहन का इस्तेमाल करायेगा अन्यथा अमानत राशि जब्त की जा सकेगी।

9—अ— आकस्मिक/विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हुआ तो अवकाश के दिनों में भी कार्यालयीन कर्मचारियों को कार्यालय तक लाने एवं वापस छोडने हेतु बस लगाना आवश्यक होगा जिसकी जानकारी ठेकेदार को एक दिन पूर्व दी जावेगी, इस हेतु पृथक राशि देय नही होगी।

9—ब. वाहन के परिचालन हेतु आवश्यक डीजल/तेल/टायर/ट्यूब/मरम्मत एवं अन्य सभी उपकरण ठेकेदार द्वारा उनके स्वयं के व्यय से वाहन में लगाये जावेंगे।

10—अ. विशेष/आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर सामान्य परिस्थितियों में बस निर्धारित मार्ग छोकरानाला स्थित पुरानी डेरी कालोनी से नगरघडी चौक, मोतीबाग रोड होते हुये श्याम टाकीज, पुरानी बस्ती, लाखेनगर होकर विवेकानंद आश्रम चौक, जी.ई.रोड से डेयरी प्लान्ट उरला पहुंचेगी एवं रायपुर स्थित विभिन्न स्टापेज से स्टाफ को लाने एवं छोडने का कार्य करेगी समय सारिणी सलग्न।

10—ब. समय सारिणी में उल्लेखित समय से अधिकतम 10 मिनट की छूट विलम्ब हेतु दी जावेगी। इससे अधिक विलम्ब होने पर प्रतिट्रिप रू.200/— की दर से पेनाल्टी की जायेगी। इस हेतु अधितम 30 मिनट विलंब मान्य होगा एवं इससे अधिक होने पर रु.500/— की शास्ति आरोपित होगी।

11— ठेकेदार द्वारा दी गई ठेके की वाहन में खराबी आ जाने पर अथवा अन्य कोई कारणों से यदि स्टाफ लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न होती है तो ठेकेदार द्वारा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी अन्यथा ऐसा न करने पर प्रबन्ध अपने विवेकानुसार वैकल्पिक व्यवस्था कर स्टाफ लाने/ले जाने हेतु स्वतंत्र रहेगा तथा ऐसी स्थिति में की गई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो भी राशि प्रबन्ध द्वारा भुगतान की जावेगी वह ठेकेदार से वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धन को रहेगा। साथ ही प्रबन्ध पक्ष द्वारा बस की वैकल्पिक व्यवस्था पर रू. 300/— प्रतिट्रिप जुर्माना किया जावेगा जो कि ठेकेदार के देयकों से कटौत्रा किया जावेगा।

12— वाहन के अंदर साफ—सफाई, वाहन की सीटों में कव्हर, गर्मी के दिनों में तेज धूप से बचाव हेतु खिड़कियों में पर्दे लगाना अनिवार्य है। ऐसा न पाए जाने पर रू. 50/— प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड़ वसूला जावेगा।

13— अनुबन्ध पत्र के प्रभावशील रहने की अवधि में ठेकेदार द्वारा प्रबन्ध पक्ष के पास रू. 1,00,000/— (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) अमानत राशि के रूप में रखा जायेगा तथा ठेका अवधि समाप्ति होने के उपरान्त यदि कोई वसूली शेष हो तो उसका समायोजन करने के बाद शेष राशि ठेकेदार को प्रबन्ध द्वारा लौटा दी जायेगी किन्तु अमानत की राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। अमानत की शेष आंशिक अथवा पूर्ण राशि अनुबन्ध पत्र के समाप्त होने के उपरान्त तीन माह की अवधि में अथवा लेनदार/देनदारी का हिसाब चुकता होने के उपरान्त जो भी तिथि बाद में हो, लौटा दी जावेगी।

..8..

14— अनुबन्ध प्रभावशील रहने की अवधि में ठेके पर ली गई वाहन में ठेकेदार द्वारा न तो कोई सवारी अनाधिकृत रूप से चढाई जावेगी और न ही उसके वाहन कर्मियों द्वारा ऐसी सवारियां बैठाई जायेगी अन्यथा अनाधिकृत सवारियां बैठाये जाने पर रू. 100/— प्रति अनाधिकृत सवारी दण्ड शास्ति स्वरूप ठेकेदार के देयकों से कटौत्रा किया जायेगा। वाहन कर्मियों जैसे —वाहन चालक, परिचालक, क्लीनर के व्यवहार अशिष्टतापूर्ण होने पर ऐसे वाहन कर्मियों को सेवा से पृथक कर देना ठेकेदार का कर्तव्य होगा अन्यथा ठेका बिना कोई पूर्व सूचना दिये रद्द कर देने का एवं अमानत की राशि जब्त करने का अधिकार प्रबन्ध पक्ष के पास रहेगा।

15— स्टाफ बस के अनुबन्ध की अवधि के मध्य यदि डीजल मूल्य में कमी/वृद्वि पायी जाती है तो इस संबंध में छत्तीगसढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में नियोजित अन्य परिवहन वाहनों हेतु प्रचलित प्रक्रिया अनुसार आनुपातिक रूप से दरों में वृद्वि/कमी की जाएगी।

16— यह अनुबन्ध दिनांक—**01—09—2025** से दिनांक **31.08.2027** तक की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्धन द्वारा ठेके की अवधि उपरोक्तानुसार स्वीकृत दरों एवं निष्पादित अनुबन्ध पत्र की इन्ही शर्तो के अधीन बढाई जा सकेगी।

17— सामान्य परिस्थितियों में उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर एक माह की स्पष्ट एवं लिखित पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा किन्तु अनुबन्ध में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में प्रबन्ध पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह ठेके को तत्काल प्रभाव से रद्द करके ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि जब्त कर ले। इसी प्रकार ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम तीन माह तक ठेके की इन्ही शर्तो एवं दरों के अध्याधीन जो एक समय में न्यूनतम 15 दिवस से कम नहीं होगी ठेका वृद्वि करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धन को रहेगा। इस दौरान ठेकेदार पूर्व सूचना देकर वाहन संचालन बन्द नही कर सकेगा अन्यथा प्रबन्ध पक्ष को वैकल्पिक व्यवस्था पर हुये अत्याधिक व्यय की राशि का समायोजन ठेकेदार के परिवहन देयक से किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी जब्त की जा सकेगी।

18— वाहन संचालन संलग्न समय सारिणी/शेडयूल के अनुसार रहेगा। प्रबन्धन को यह अधिकार है कि वह स्टाफ बस समय सारिणी/मार्ग में परिवर्तन कर सके जिसकी लिखित सूचना ठेकेदार को दी जाएगी। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप यदि डीजल के व्यय में कमी/बढोत्री होती है तो इस हेतु प्रबन्ध द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा पर प्रबन्ध संचालक को आनुपातिक रूप से दरों में कमी/बढोत्री करने का अधिकार होगा।

19— आवश्यक होने पर यदि वाहन में खराबी आने/आवश्यक मरम्मत के कारण वाहन ठेकेदार द्वारा अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था अनुबंधित वाहन के समकक्ष की जाती है तो इस हेतु वाहन ठेकेदार को सूचित कर अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा एवं अपने आवेदन में ठेकेदार को यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि कितने दिवस के अंदर अनुबंधित वाहन परिवहन कार्य हेतु लगा दी जावेगी। मरम्मत उपरांत अधिकतम 05 दिवस के अंदर अनुबंधित वाहन पुनः संचालित करेगा, ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिदिन रु. 500/— (पॉच सौ मात्र) देयक से कटोत्रा कर किया जावेगा। इस हेतु अधिकतम सीमा 10 दिवस तक रहेगी इससे अधिक समय लगने पर प्रबंध को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह दण्ड की राशि की सीमा में वृध्दि/अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

20— यदि वाहन ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के वैकल्पिक वाहन चलाई जाती है तो इसकी जवाबदारी स्वयं वाहन ठेकेदार की होगी एवं इस हेतु प्रबंध पक्ष जवाबदेह नही होगा साथ ही उक्त व्यवस्था का देयक भुगतान दुग्ध महासंघ द्वारा नही किया जावेगा।

21— वाहन ठेकेदार को टोल टैक्स का भुगतान स्वयं के व्यय से किया जाना होगा।

22— अनुबन्ध के प्रभावशील रहने की अवधि में ठेकेदार एवं प्रबन्ध पक्ष के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे प्रकरणों में सभी प्रकार का क्षेत्राधिकार शहर रायपुर (छ.ग.) में होगा।

लिफाफा–(अ) अर्नेस्ट मनी डी.डी.

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

(1) निविदाकार का नाम ——————————————————

(2) पिता का नाम ——————————————————

(अ) निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. ——————————————————

अक्षरी ——————————————————

(1) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) नं. एवं दिनांक ——————————————————

——————————————————

(2) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) जारीकर्ता बैंक नाम ——————————————————

एवं शाखा का नाम ——————————————————

(ब) अर्नेस्ट मनी राशि रू. ——————————————————

अक्षरी ——————————————————

(1) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) नं. एवं दिनांक ——————————————————

——————————————————

(2) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) जारीकर्ता बैंक नाम ——————————————————

एवं शाखा का नाम ——————————————————

(संलग्न मूल डी.डी.)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम——————

परिशिष्ट–2

लिफाफा–(ब) वाहन संबंधी कागजात

निविदाकार एवं वाहन का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :–

1– निविदाकार का पूरा नाम ....

2– पिता/पति का नाम ....

3– वर्तमान पता ....
....

4– स्थायी निवास का पता ....
....

5– निविदा पत्र हस्ताक्षर करने की तिथि को निविदाकार की आयु ....

6– निविदाकार के नाम से पंजीयन वाहन का क्रमांक ....
....

7– वाहन का प्रकार ....

8– वाहन का निर्माणी वर्ष व मेक वर्ष .... के पूर्व की न हो ....

9– अ– वाहन में कितने व्यक्ति को बिठाने की व्यवस्था है? ....

ब– आर.सी.बुक में दर्ज बैठक क्षमता दर्शावें? ....

10– यदि वाहन किसी फर्म/व्यक्तियों की भागीदारी में है, तो उसका विवरण (समस्त भागीदारी की सहमति का पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करें) ....
....

11– यदि वाहन किसी बैंक से हाइपोथिकेट है तो उसका विवरण दिया जावे। (बैंक का पट्टे पर वाहन चलाने हेतु सहमति पत्र दिया जावे) ....
....
....

				पताका लगावें
12–	बीमित अवधि (छायाप्रति संलग्न करें)	दि.....................से दि.....................तक वैध		पताका–''अ''
13–	फिटनेस अवधि (छायाप्रति संलग्न करें)	दि.....................से दि.....................तक वैध		पताका–''ब''
14–	परमिट	दि.....................से दि.....................तक वैध		पताका–''स''
15–	रोड़/मोटर व्हीकल टैक्स (छायाप्रति संलग्न करें)	दि.....................से दि.....................तक वैध		पताका–''द''
16–	वाहन चालक का लायसेन्स (छायाप्रति संलग्न करें)	दि.....................से दि.....................तक वैध		पताका–''इ''

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम——————————

परिशिष्ट–3

लिफाफा–(स) दर प्रपत्र

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदाकार का फोटो

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,
ग्राम–उरला, पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

मैने आपके कार्यालय द्वारा जारी स्टॉफ बस परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली है, यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो अपना वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराउंगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है–

(1) निविदाकार का नाम ——————————————————

(2) पिता का नाम ——————————————————

(3) स्थायी पूरा पता ——————————————————

——————————————————

(4) दूरभाष / मोबाईल नंबर ——————————————————

(5) निविदा विवरण–

मार्ग का नाम .... मार्ग विवरण ....

वाहन का प्रकार	सीट क्षमता	मॉडल वर्ष	वाहन क्रमांक	दर प्रति कि.मी. नोट–प्रतिट्रीप दर स्वीकर नहीं की जायेगी।	कर अतिरिक्त या समाहित

(अक्षरी रू.————————————————————————————)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम——————

।। समय–सारिणी ।।

छूटना		*पहुंचना*	
स्थान	*समय*	*स्थान*	*समय*
उरला, संयंत्र	05.00 बजे सुबह लगभग	डेयरी कालोनी	06.00 बजे सुबह
डेयरी कालोनी	07.10 बजे सुबह लगभग	उरला, संयंत्र	08.00 बजे सुबह
उरला, संयंत्र	08.10 बजे सुबह खाली	डेयरी कालोनी	08.50 बजे सुबह
डेयरी कालोनी	09.00 बजे सुबह लगभग	उरला, संयंत्र	10.00 बजे सुबह
उरला, संयंत्र	04.00 बजे शाम लगभग	डेयरी कालोनी	05.00 बजे शाम
डेयरी कालोनी	05.05 बजे शाम खाली	उरला, संयंत्र	05.50 बजे शाम
उरला, संयंत्र	06.00 बजे शाम लगभग	डेयरी कालोनी	07.00 बजे शाम
डेयरी कालोनी	08.00 बजे रात्रि लगभग	उरला, संयंत्र	09.00 बजे रात्रि

टीप :– प्रति किलोमीटर दर में वाहन चालक का वेतन भुगतान, श्रम कानूनों के अनुपालन (पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं अन्य) डीजल व्यय का भुगतान, वाहन का बीमा, सरकारी टैक्स राशि एवं वाहन के टूट–फूट से संबंधित मरम्मत इत्यादि व्यय सम्मिलित रहेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर
पता – ....
....
....